

पत्रांक-3ए-10-(अ०सू०)-12/2023-...../वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग।

प्रेषक,

ब्रजेश,  
संयुक्त आयुक्त।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : .....

विषय :- श्री अशोक कुमार पाण्डेय, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित ऑनलाईन प्रश्न संख्या-1/205/55 के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है श्री अशोक कुमार पाण्डेय, माननीय स०वि०प० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित ऑनलाईन प्रश्न संख्या-1/205/55, का विषय-वस्तु सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालय से संबंधित है।

मकान किराया नियमावली, 1980 के प्रावधान एवं वित्त विभागीय पत्रांक-6011, दिनांक-10.07.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि माननीय स०वि०प० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से बिहार विधान परिषद् को उपलब्ध कराने के साथ कृत कार्रवाई की सूचना संसदीय कार्य विभाग को देने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ब्रजेश)

संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक-3ए-10-(अ०सू०)-12/2023-

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को अल्प सूचित ऑनलाईन प्रश्न संख्या-1/205/55 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक-3ए-10-(अ०सू०)-12/2023-

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक-3ए-10-(अ०सू०)-12/2023- 9867

पटना, दिनांक : 02/11/2023

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-20, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके गै०प्रे० संख्या-3433, दिनांक-02.11.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त।